

अनुदान संख्या 95 – पर्यटन मंत्रालय
GRANT No. 95 - MINISTRY OF TOURISM

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	1839,69,00		
पूरक	Supplementary	3,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year	1839,72,00	1766,09,29	-73,62,71
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत—	Voted-	1,08,00	..	-1,08,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			1,08,00

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः—

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head	(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष “3451”	Major Head “3451”			
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services			
मू.	O.	830.00		
पु.	R.	-171.50		
		658.50	632.20	-26.30
मुख्य शीर्ष “2552”	Major Head “2552”			
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	17500.00		
पु.	R.	-17500.00		
	

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
------------------------------	--	--

शीर्ष मुख्य शीर्ष "3452" पर्यटन	Head Major Head "3452" Tourism	
मू.	O.	165569.00
पू.	S.	3.00
पु.	R.	11182.68

(I) ₹17801.00 लाख का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹17799.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:—

(I) Provision of ₹17801.00 lakhs remained wholly unutilized under six heads; of these ₹17799.00 lakhs accounted for under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "2552" —

(A) Major Head "2552" -

(क) "सामान्य (पर्यटन) — प्रशिक्षण — आईएचएमएस/एफसीआई/आईआईटीटीएम/एनसीएचएमसीटी को सहायता" — ₹800.00 लाख;

(a) "General (Tourism) - Training - Assistance to IHMS/FCI/IITTM/NCHMCT" - ₹800.00 lakhs;

(ख) "सामान्य (पर्यटन) — संवर्धन और प्रचार — आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार" — ₹1200.00 लाख; और

(b) "General (Tourism) - Promotion and Publicity - Domestic Promotion and Publicity including Hospitality - ₹1200.00 lakhs; and

(ग) "पर्यटन अवसंरचना — पर्यटन आवास — स्वदेश दर्शन — विषय आधारित पर्यटक सर्किट का समन्वित विकास" — ₹15500.00 लाख ।

(c) "Tourist Infrastructure - Tourist Accommodation - Swadesh Darshan - Integrated Development of Theme Based Tourist Circuits" - ₹15500.00 lakhs.

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा ।

Provisions under the above three heads remained unutilized due to re-appropriation of funds to functioned heads for utilisation on project/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) मुख्य शीर्ष "3452" — "पर्यटन अवसंरचना — पर्यटन आवास — वृहद राजस्व बनाने वाली परियोजनाओं के लिए सहायता" — ₹299.00 लाख — परियोजनाओं के अनुमोदन न होने के कारण ।

(B) Major Head "3452" - "Tourist Infrastructure - Tourist Accommodation - Assistance for Large Revenue Generating Projects" - ₹299.00 lakhs - due to non-approval of the projects.

(II) मुख्य शीर्ष “3451” – “सचिवालय – पर्यटन विभाग” – के अन्तर्गत ₹197.80 लाख की बचत (₹830.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दौरे किए जाने, कम परामर्शदाताओं की नियुक्ति किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “3452” – “सामान्य” – के अन्तर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “निर्देशन और प्रशासन” –

(क) “पर्यटन महानिदेशालय” – ₹469.95 लाख की बचत (₹4645.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना) सूचना प्रौद्योगिकी घटक पर कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने एवं वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) “भारत में पर्यटन कार्यालय” – ₹256.38 लाख की बचत (₹2245.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा एअर इंडिया भवन, मुम्बई के नवीनीकरण के लिए दावे का निपटान न होने, फर्नीचर की खरीद न किए जाने और स्टेशनरी मदों की खरीद कम किए जाने के कारण हुई।

(ग) “विदेश स्थित पर्यटक कार्यालय” – ₹804.19 लाख की बचत (₹3626.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, किराये के संबंध में कम दावों की प्राप्ति होने, बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता एवं छुट्टी यात्रा रियायत संबंधित दावों की कम प्राप्ति होने, कम दौरे किए जाने एवं स्टेशनरी मदों की खरीद कम होने के कारण हुई।

(खा) “प्रशिक्षण – सेवा प्रदाता के लिए क्षमता निर्माण” – ₹2517.04 लाख की बचत (दिसंबर, 2017 में प्राप्त किए गए ₹0.25 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹6500.25 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ‘हुनर से रोजगार

(II) Under Major Head “3451” - “Secretariat - Department of Tourism” - saving of ₹197.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹830.00 lakhs) was due to less tours undertaken, appointment of less consultants and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) Under Major Head “3452”- “General” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Direction and Administration”-

(a) “Directorate General of Tourism”- saving of ₹469.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 4645.00 lakhs) was due to receipt of less proposals on Information Technology component and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) “Tourist Offices in India” - saving of ₹256.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2245.00 lakhs) was due to non-settlement of claim for renovation of Air India building at Mumbai by Central Public Works Department, non purchase of furniture and less purchase of stationary items.

(c) “Tourist Offices Abroad” - saving of ₹804.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3626.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims towards rent, children education allowance and leave travel concession, less tours undertaken and purchase of less stationary items.

(B) “Training - Capacity Building for Service Provider”- saving of ₹2517.04 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹6500.25 lakhs including token supplementary grant of ₹0.25 lakh obtained in

तक' कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों के देर से आरंभ होने एवं वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(गा) "संवर्धन और प्रचार – प्रत्यक्ष व्यय" – ₹3670.87 लाख की बचत (जुलाई, 2017 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹39801.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, यात्रा दौरे कम किए जाने कार्यान्वयन एजेंसियों से पर्याप्त प्रस्तावों की प्राप्ति न होने एवं वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(IV) ₹53.50 लाख की बचत एक शीर्ष के अंतर्गत स्वीकृत प्रावधान का 35 प्रतिशत थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹16259.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "3452" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत जुलाई, 2017, दिसंबर, 2017 और मार्च, 2018 में ₹3.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:—

(का) "पर्यटक अवसंरचना – पर्यटन केन्द्र – स्वदेश दर्शन – विषय आधारित पर्यटक सर्किट का समन्वित विकास" – ₹13904.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹13886.86 लाख था।

(खा) "सामान्य – प्रशिक्षण" –

(क) "होटल प्रबंधन संस्थान, कटरिंग टैक्नॉलाजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन को अनुदान" – ₹280.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹279.75 लाख था।

(ख) "आईएचएमएस/एफसीआई/आईआईटीटीएम/एनसीएचएमसीटी को सहायता" – ₹2075.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि ₹2057.25 लाख था।

December, 2017) was due to late start of 'Hunar se Rojgar Tak' Programme and other programmes and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(C) "Promotion and Publicity - Direct Expenditure" - saving of ₹3670.87 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹39801.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in July, 2017) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken, non-receipt of adequate proposals from the implementing agencies and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) Under one head saving of ₹53.50 lakhs occurred constituting 35 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹16259.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹3.00 lakhs in July, 2017, December, 2017 and March, 2018 under Major Head "3452" - under the following heads: -

(A) "Tourist Infrastructure - Tourist Centres - Swadesh Darshan - Integrated Development of Theme Based Tourist Circuits" - ₹13904.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹13886.86 lakhs.

(B) "General - Training" -

(a) "Grants to Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition" - ₹280.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹279.75 lakhs.

(b) "Assistance to IHMS/FCI/IITTM/NCHMCT" - ₹2075.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2057.25 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत मुख्य शीर्ष “3452” – “पर्यटन अवसंरचना” – के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई:-

(का) “पर्यटन केन्द्र – पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय अभिकरणों को सहायता” – ₹1672.93 लाख का अधिक व्यय (₹7000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) औरंगाबाद रेलवे स्टेशन एवं कोकण रेलवे के संयुक्त विकास से संबंधित अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने प्रतिबद्ध देयताएं एवं कार्यान्वयन अभिकरणों से अधिक प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुआ।

(खा) “पर्यटन आवास – बाजार अनुसंधान” – ₹499.00 लाख का अधिक व्यय (₹600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चल रही स्कीमों की प्रतिबद्ध देयताओं संबंधी अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “3452” - “Tourist Infrastructure” - under the following heads: -

(A) “Tourist Centres - Assistance to Central Agencies for Tourism Infrastructure Development” - excess of ₹1672.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards joint development of Aurangabad railway station and Konkan Railways, committed liabilities and receipt of more proposals from the implementing agencies.

(B) “Tourist Accommodation - Market Research” - excess of ₹499.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards committed liabilities of ongoing schemes.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष Head		
मुख्य शीर्ष “4059” लोक कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4059” Capital Outlay on Public Works	
मू.	O.	107.00
पु.	R.	-107.00

(I) ₹108.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा जिसमें से ₹107.00 लाख “कार्यालय भवन – निर्माण – पर्यटन भवन के निर्माण” के अंतर्गत नई दिल्ली नगर निगम परिषद से मांग की प्राप्ति न होने के कारण अकेले लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹108.00 lakhs remained wholly unutilized under two heads; of these ₹107.00 lakhs alone accounted for under “Office Buildings - Construction - Construction of Paryatan Bhawan” - due to non receipt of demand from New Delhi Municipal Council.